कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

सर्वसम्बंधित के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी, सुसंगठित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए जाने हेतु **ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली** लागू की जा रही है।

इस उद्देश्य से एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है एवं विद्यालयों की सुविधा हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार की गयी है, जिसके माध्यम से विद्यालय में कक्षा–9 से 12 तक अध्ययनरत प्रत्येक छात्र/छात्राओं एवं कार्यरत शिक्षकों की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सभी माध्यमिक विद्यालय (राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित) में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

प्रमुख बिन्दु :

(1) प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम पीरियड में परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in के होमपेज पर उपलब्ध लिंक अथवा Google Play Store पर उपलब्ध मोबाइल ऐप UPMSP-Attendence के माध्यम से लॉगइन कर छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

(2) परिषद की वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप पर विद्यालयों की वर्तमान लॉगइन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगइन कर उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी।

(3) उपस्थिति पोर्टल पर लॉगइन कर विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में पंजीकृत छात्र/छात्राओं को यथास्थिति Section A/B/C/D/E/.. आवंटित करना होगा।

(4) छात्र/छात्राओं अथवा शिक्षकों के अवकाश पर होने के स्थिति में अवकाश के प्रकार/कारण का भी अंकन करना होगा।

(5) ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई विद्यालय परिसर से ही सम्भव होगी।

उक्त व्यवस्था छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, डाटा संकलन में पारदर्शिता तथा शैक्षणिक अनुशासन को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गयी है। अतः जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों (राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित) के प्रधानाचार्य इस व्यवस्था का गम्भीरता से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

30/6/2025
(भगवती सिंह)
सचिव

पृ0सं0: मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 286 (1-5) दिनांक : 30 जून, 2025

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को छात्रहित में अपने सम्मानित समाचार पत्र के समस्त संस्करणों के मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

4— अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षे0का0, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर को उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

5— जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि जनपद के प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें।

(भगवती सिंह)
सचिव